रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102025-266837
CG-DL-E-10102025-266837

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4461] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 8, 2025/आश्विन 16, 1947
No. 4461] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 2025/ASVINA 16, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4590(अ).—यतः, केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ1097 (अ) दिनांक 4 अगस्त, 2005 द्वारा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1ए (नया एनएच-44) के किमी 187.000 से किमी 189.350 (बनिहाल बाईपास) और किमी 220.700 से किमी 286.110 (श्रीनगर काजीगुंड खंड) का खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3 (जिसे इसके बाद "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या का.आ. 1613 (अ) दिनांक 16 अप्रैल 2019 का अधिक्रमण करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1ए (नया एनएच-44) के किलोमीटर 220.700 से किलोमीटर 285.950 (श्रीनगर-काजीगुंड खंड) तक के खंड के चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 32.164 किमी [सारणी-2] की निवल सड़क खंड लंबाई और 8.860 किमी (0.886 किमी की लंबाई वाली, सारणी-4) समतुल्य संरचना लंबाई 60) मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर और दस करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले 32.200 किमी [सारणी-3] की लंबाई वाले बाईपास के लिए आधार दर के डेढ़ गुना पर शुल्क उद्ग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी – 1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा मृदा संचालन उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्ग्रहीत और संग्रहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई हेतु शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात: -

सारणी 2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	**लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है**	**वह दर जिस पर शुल्क संदेय है**
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के कैचचकूट गांव के पास एनएच -1ए (नया एनएच -44) के डिज़ाइन किमी 258+564 पर	32.164 [बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक) और संरचनाओं की लंबाई (60 मीटर से अधिक) को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए होगा:-

सारणी - 3						
शुल्क प्लाज़ा का अवस्थान (चेनेज)	**बाईपास का नाम**	**पर आरंभ होते हुए**	**पर मिलते हुए**	**बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है**		**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
				लंबाई (किमी में)	**लागत (करोड़ रुपये में)**	
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के कैचचकूट गांव के पास एनएच-1ए (नया एनएच-44) के डिज़ाइन किमी 258+564 पर	काजीगुंड बाईपास	डिज़ाइन किमी 221.375	डिज़ाइन किमी 225.320	3.785	36.21	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	बिजबेहरा बाईपास	डिज़ाइन किमी 238.470	डिज़ाइन किमी 250.710	12.165	117.45	

	अवंतिपोरा बाईपास	डिज़ाइन किमी 262.040	डिज़ाइन किमी 268.640	6.28	60.64	
	पंपोर बाईपास	डिज़ाइन किमी 275.780	डिज़ाइन किमी 285.950	9.97	87.48	
कुल				**32.200**		

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐंसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा :-

सारणी 4			
शुल्क प्लाज़ा का अवस्थान (चेनेज)	**समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं की लंबाई (किमी में)**	**समतुल्य सड़क लंबाई(किमी में)**	**वह दर जिस पर शुल्क संदेय है**
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के कैचचकूट गांव के पास एनएच -1ए (नया एनएच-44) के डिज़ाइन किमी 258+564 पर	0.886^	8.860	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

^संरचना का विवरण निम्नानुसार है: -

	डिज़ाइन चेनेज	**संरचना का प्रकार**	**लंबाई (किमी में)**
1	किमी 222.064 से किमी 222.224	एमजेबी	0.160
2	किमी 242.981 से किमी 243.056	आरओबी	0.075
3	किमी 252.783 से किमी 252.914	एमजेबी	0.131
4	किमी 264.545 से किमी 264.705	एमजेबी	0.160
5	किमी 267.985 से किमी 268.145	एमजेबी	0.160
6	किमी 276.976 से किमी 277.176	एमजेबी	0.200
कुल			**0.886**

4. गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 350/-रूपए (तीन सौ पचास रूपए मात्र) और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के लिए अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खंड पर एकाधिक यात्राओं के लिए, निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात: -

सारणी - 5		
देय राशि	**अधिकतम संख्या एक अनुमत यात्रा मार्ग**	**वैधता की अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीने

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, वहां पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित दर का 50% होगा, बशर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10के उप-नियम 1ए में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त सारणी- 1 में यथा उल्लिखित आधार वर्ष 2007- 2008 के लिए प्रति कि.मी .शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अँग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 2803.99 करोड़ रुपये है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. सीओडीआईवी-13023/1/2025- पीआईयू श्रीनगर /E-253289]

विनय कुमार,अपर सचिव, भारत सरकार

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2025

S.O. 4590(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 1097 (E) dated 4th August, 2005 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 187.000 to km 189.350 (Banihal Bypass) and Km 220.700 to Km 286.110 (Srinagar Qazigund section) of National Highway number 1A (New NH-44) in the Union Territory of Jammu & Kashmir to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules") and in supersession of notification bearing number S.O. 1613(E) dated 16th April 2019, the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 32.164 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 8.860 km (having length of 0.886 km, Table-4) and at one and half times the base rate for bypasses having length of 32.200 km [Table-3] costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four or more lane section from kilometer 220.700 to kilometer 285.950 (Srinagar-Qazigund Section) of National Highway number 1A (New NH-44) in the Union Territory of Jammu & Kashmir and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely;

Table-2

Location of Fee Plaza (Chainage)	**Length (in km) for which fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
At Design Km 258+564 of NH-1A (New NH-44) near village Kaichachkoot in Pulwama district in the UT of Jammu and Kashmir	32.164 [Excluding length of Bypass (costing ≥ Rs.10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to the above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza: -

Table 3

Location of Fee Plaza (chainage)	**Name of the Bypass**	**Taking Off**	**Merging at**	**Length and Cost of bypass for which additional fee is payable**		**Rate at which fee is payable**
				Length (in Km.)	**Cost (in Rs. Crore)**	
At Design Km 258+564 of NH-1A (New NH-44) near village Kaichachkoot in Pulwama district in the UT of Jammu and Kashmir	Qazigund Bypass	Design km 221.375	Design km 225.320	3.785	36.21	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Bijbehara Bypass	Design km 238.470	Design km 250.710	12.165	117.45	
	Awantipora Bypass	Design km 262.040	Design km 268.640	6.28	60.64	

	Pampore Bypass	Design km 275.780	Design km 285.950	9.97	87.48	
Total				32.200		

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table 4

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable)
At Design Km 258+564 of NH-1A (New NH-44) near village Kaichachkoot in Pulwama district in the UT of Jammu and Kashmir	0.886^	8.860	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details of the structure are as under: -

	Design Chainage	Type of Structure	Length (in km)
1	Km 222.064 to Km 222.224	MJB	0.160
2	Km 242.981 to Km 243.056	ROB	0.075
3	Km 252.783 to Km 252.914	MJB	0.131
4	Km. 264.545 to Km. 264.705	MJB	0.160
5	Km. 267.985 to Km. 268.145	MJB	0.160
6	Km. 276.976 to Km. 277.176	MJB	0.200
Total			**0.886**

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs 350 (Rupees Three Hundred Fifty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table 5

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of the amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from the date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 2803.99 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. CODIV-13023/1/2025-PIU Srinagar/E-253289]

VINAY KUMAR, Addl. Secy.

.

sUploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.10.10 15:36:00 +05'30'